

म०प्र० शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक: एफ 57-14/08/20-2(B)

भोपाल, दिनांक 18.07.2008

आदेश


राज्य शासन के आदेश क्रमांक: एफ 57-14/08/20-2(A) भोपाल, दिनांक 18.07.2008 से प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने की नवीन नीति निर्धारित की गई है। इस नीति के तहत ऐसी बसाहटें जहाँ एक कि०मी० की परिधि में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है तथा 5-9 वर्ष के शासकीय शाला में अध्ययन हेतु इच्छुक न्यूनतम 10 बच्चे उपलब्ध हैं, वहाँ कक्षा 1-3 के लिए सैटेलाइट स्कूल के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित इस नीति के पालन में वर्ष 2008-09 में प्रदेश के 35 जिलों में चिन्हांकित 919 बसाहटों (संलग्न संख्या अनुसार) में सैटेलाइट स्कूल संचालन की स्वीकृति दी जाती है। इन सैटेलाइट शालाओं के लिए प्रति शाला 1 शिक्षक के मान से 919 सहायक शिक्षक के पदों के निर्माण की स्वीकृति एवं इन्हें संविदा शिक्षक वर्ग 3 से भरने की अनुमति दी जाती है।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2/2/2002/नियम/चार, दिनांक 30 सितम्बर, 2002 के अर्न्तगत प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकार तथा उनकी टीप यू.ओ. क्रमांक सी.आर./482/08/बी 3 दिनांक 27.06.08 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
18/7/08  
(एम.के. दाण्डे)  
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

सत्र 2008-09 में खोली जानेवाली सैटेलाईट शालाओं की जिलेवार संख्या :

जिला	सैटेलाईट शालाओं की संख्या	सैटेलाईट शालाओं हेतु संविदा शिक्षक वर्ग-3 से भरे जाने वाले पद
श्यापुर	24	24
मुरैना	13	13
भिण्ड	11	11
ग्वालियर	16	16
शिवपुरी	30	30
अशोकनगर	9	9
दतिया	6	6
देवास	25	25
शाजापुर	12	12
मदसौर	53	53
नीमच	11	11
उज्जैन	15	15
धार	48	48
झाबुआ	84	84
खरगोन	74	74
बडवानी	30	30
खण्डवा	26	26
भोपाल	15	15
सीहोर	43	43
विदिशा	76	76
बैतूल	12	12
होशंगाबाद	17	17
हरदा	23	23
सागर	53	53
दमोह	25	25
छतरपुर	7	7
जबलपुर	18	18
कटनी	10	10
नरसिंहपुर	16	16
मण्डला	16	16
डिण्डोरी	23	23
बालाघाट	20	20
उमरिया	5	5
सीधी	15	15
सतना	38	38
योग	919	919